(456)

(106)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक एफ.3(54)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांकः– 23 JAN 2013

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :– ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु गठित समिति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29.12.2012 के बिन्दु संख्या 5 द्वारा अनुमोदित योजनाऐं, जिनमें न्यूनतम 50 प्रतिशत निर्माण हो चुका है, में सुविधा क्षेत्र एवं सड़कों को यथावत् रखते हुए ले–आउट प्लान नगर निकाय स्तर पर संशोधित किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। साथ ही नगर निगम, जयपुर बनाम लेखराज सोनी के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के क्रम में जयपुर रीजन के प्रकरणों में सैक्टर प्लान की ऐसी सड़कें जिनका 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों के भूखण्डों पर भवन निर्माण हो जाने के कारण मौके पर बनाया जाना संभव नहीं है, उन सैक्टर सड़कों को व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए ले–आउट प्लान में संशोधन करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

चूंकि विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 8.11.2012 के बिन्दु संख्या 1.1 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में ले–आउट प्लान अनुमोदन किये जाने हेतु प्राधिकरण की जोन स्तरीय समिति को अभियान अवधि दिनांक 31.3.2013 तक अधिकृत किया जा चुका है, अतः विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29.12.2012 में ले–आउट प्लान में संशोधन बाबत् जयपुर विकास प्राधिकरण की शक्तियां उक्त जोन स्तरीय समिति में निहित समझी जावें।

आज्ञा से,

(आर0के0पारीक)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

(384)